

वकील शर्मा उपस्थित शर्मा का स्वयं उपस्थित  
शर्मा के शर्मा- पत्र दिने जाये पर पत्रावली  
को पेशी से लिया गया शर्मा के शर्मा-पत्र  
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शर्मा का  
राजीनामा होने के कारण शर्मा- पत्र चलाया  
नहीं चाहती हैं। अतः शर्मा के निवेदन  
करने से पत्रावली वर्तमान स्तर पर  
खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से  
कम की जाकर बाद तन्मूल मूल प्रादे  
संख्या 075/2023 के संलग्न हो।

७

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
दिल्ली

